आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 3

दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–01/2019–20

मो0 मनसुर अंसारी उर्फ मंसुर अली बनाम मनौवर अली

–: आदेश :–

यह वाद संक्षेप में अपीलार्थी मो0– मनसुर अंसारी उर्फ मुसुर अली, पति–स्व0 अब्दुल हमीद, सा0–मंसुरीटोला, थाना–. पाकुड़ नगर, जिला– पाकुड़ के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–1818R27/2018–19 में दिनांक–30.10.2018 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर दाखिल अपील आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन में (1) झारखण्ड सरकार, (2) मनौवर अली, पिता–स्व0 हामिद मियाँ (3) हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी, पति– मरहूम हमीद मियाँ, सा0–मंसुरीटोला, थाना– पाकुड़ नगर को विपक्षी बनाते हुए मौजा– पाकुड़ नं0–05/128 के खाता सं0–146 के दाग सं0–1690 अन्तर्गत रकवा–00बी0–01क0–04धूर (0 एकड़ 1.983 डिसमील 0 हेक्टेर) जमीन से संबंधित है। अपील आवेदन सुनवाई हेतु एडमिट होने के पश्चात् उत्तरवादी को नोटिश निर्गत किया गया। उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। विपक्षी (2) मनौवर अली, पिता–स्व0 हामिद मियाँ (3) हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी, पति– मरहूम हमीद मियाँ, सा0–मंसुरीटोला, थाना– पाकुड़ नगर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस न्यायालय में उपस्थिति देते हुए आवेदन समर्पित किया ।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी नं0–146 के दाग संख्या–1690 अन्तर्गत रकवा–00बी0–01क0–04धूर जमीन अपीलार्थी की माँ हसबुन नेशा उर्फ हसबुन बीबी पति– स्व0 अब्दुल हमीद, सा0– मंसुरीटोला पाकुड़ के द्वारा वर्ष 1963 में केवाला सं0–1817 दिनांक– 29.04.1963 से क्रय किया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उनकी माँ हसबुन नेशा के दो पुत्र हैं (1)मो0 मनसुर अंसारी उर्फ मनसुर अली एवं (2) मो0 मनौवर अली दोनों भाईयों का आधा–आधा हिस्सा है। अंचल अधिकारी के द्वारा 12 धूर जमीन के स्थान पर सम्पूर्ण जमीन अर्थात् रकवा–00बी0–01क0–04धूर जमीन का नामान्तरण उत्तरवादी के पक्ष में कर दिया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उक्त रकवा– 00बी0–01क0–04धूर में से 12 धूर जमीन अपीलार्थी को हेवा के माध्यम से वर्ष 2012 में मिला है।

उपरोक्त वाद की सुनवाई के क्रम में विपक्षी (2) मनौवर अली,

पिता–स्व0 हामिद मियाँ (3) हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी, पति– मरहूम हमीद मियाँ, सा0–मंसुरीटोला, थाना– पाकुड़ नगर के विद्वान अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। विपक्षीयों के अधिवक्ता के कथन है कि प्रश्नगत मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी नं0–146 के दाग संख्या–1690 अन्तर्गत रकवा–00बी0–01क0–04धूर जमीन का क्रय निबंधित विक्रय केवाला सं0–1817 वर्ष 1963 में विपक्षी सं0–(3)हसबुन निशा द्वारा क्रय किया गया था एवं उक्त भूमि आपने नाम से अंचल कार्यालय, पाकुड़ से दाखिल–खारिज कराकर भोग दखल किया जाता रहा। लगान रसीद की छाया प्रति विपक्षी की ओर से समर्पित किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। विपक्षी का यह भी कथन है कि हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी द्वारा उक्त भूमि निबंधित विकय केवाला –1034 द्वारा रकवा– 00बी0–01क0–04धूर जमीन विपक्षी (2) मो0– मनौवर अली को विकय कर दिया गया था।

अपीलार्थी का कथन है कि हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी वर्ष 1963 ई0 में प्रश्नगत दाग सं0–1690 का सम्पूर्ण भूमि 01कट्ठा 04धूर कब एवं किससे खरीदी थी उसका निबंधन केवाला में कोई जिक्र नहीं है। निबंधन केवाला सं0– 1817 में कोई जिक्र नहीं है और इसलिए अपीलार्थी का दावा है कथित हसबुन निशा उर्फ हरामुन बीबी के द्वारा प्रस्तुत विकय केवाला सं0–1034 गलत एवं जाली दस्तावेज है। वह दस्तावेज कभी कार्य कर नहीं हुआ है तथा सिर्फ एक कागजी दस्तावेज है एवं उसके आधार पर जो भी विक्रय केवाला तैयार हुआ है वह गैर कानूनी एवं मान्य योग्य नहीं है। अंत में अपीलार्थी का ये भी कहना है कि मो0 अनौवर अली ने प्रश्नगत दाग सं0–1690 से जो 00बी0–01क0–04धूर जमीन वर्ष–1963 में निबंधित विक्रय केवाला 1817 द्वारा क्रय किया था वह दस्तावेज कथित हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी से जाली दस्तावेज बनाकर के कय किया है। उक्त रकवा–00बी0–01क0–04धूर जमीन पर विपक्षी का दावा सरासर गलत, मनगढंत एवँ निराधार है तथा पूर्व में दाखिल–खारिज वाद सं0–1818R27/2018–19 द्वारा दिनांक–30.10.2018 को पारित आदेश तथ्य से परे एवं गलत है।

सम्पूर्ण अभिलेख एवं संलग्न कागजातों/दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विपक्षी के द्वारा अपना कारण पृच्छा एवं कागजात/दस्तावेज दाखिल किया गया है। विपक्षी के द्वारा लिखित बहस एवं संलग्न कागजात/दस्तावेज का अवलोकन के बाद यह प्रतीत होता है कि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर दावा सही है। विपक्षी के द्वारा जमा किया गया

छायाप्रति निबंधित केवाला सं0– 1617 जिसे देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी दिनांक– 29.05.1963 में उक्त 01 कट्ठा 04धूर जमीन (1) दुलु मियाँ, (2) हबीब मियाँ (3) हामीद मियाँ एवं (4) निनि मियाँ से खरीदा था और खरीदने के बाद अपने नाम से दाखिल–खारिज कर भोग–दखल किया जाता रहा।

बाद में उक्त हसबुन निशा के द्वारा अपने पुत्र मनौवर अली (विपक्षी सं0–02) को निबंधित विक्रय केवाला सं0–1034 दिनांक– 30.05.2017 द्वारा विक्रय कर दिया गया। क्रय करने के बाद उक्त भूमि का दाखिल–खारिज भी मनौवर अली के नाम से सम्पन्न हो चुका है।

आवेदक का कहना है कि जमीन उसकी माँ हसबुन निशा उर्फ हसमुन बीबी 01कट्ठा 04 धूर जमीन में से 12 धूर जमीन हेवा के माध्यम से वर्ष–2012 में मिला था। आवेदक इस संबंध में कोई सहायक प्रमाणिक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक का दावा निराधार है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी सं0–2 का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है एवं उनके नाम से नामान्तरण सम्पन्न है। जहाँ तक अपीलार्थी का दावा 12 धूर जमीन पर किया जा रहा है तो इस संदर्भ में मुस्लिम विधि में माता के जीवित रहते पुत्र का उक्त सम्पत्ति पर कोई हक नहीं बनता है जो उनकी माता द्वारा स्वंय क्रय की गई है। उनकी माता द्वारा अपनी भूमि अपने पुत्र मनौवर अली को बिक्री की गई है। यदि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई स्वत्व का दावा है तो वो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत (Reject) किया जाता है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक तर्क सुना एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचाकि उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/04/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पाकुड़।

05/04/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by RABINDRA CHOUDHARY
Date: 2021.07.19 13:25:38 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:3403:5c6:62dc:b3de

ORDER- SHEET